



संख्या: 9892/(214)/आ०ब०-7 /अधि.नि./2023-24 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2023
प्रेषक,

निदेशक,

आवास बन्धु,

उ०प्र०।

अनुस्मारक-3

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद, लखनऊ, रायबरेली विकास
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,


कपिलवस्तु, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: "आवास बन्धु" हेतु पुनर्निर्धारित अंशदान भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1348/आठ-1'16-214/आ.ब./2000 लखनऊ दिनांक 29.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा "आवास बन्धु उ०प्र०" हेतु निर्धारित अंशदान जमा करने के लिए कार्यालय के पत्र संख्या-9308/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023, अनुस्मारक-पत्र कार्यालय के पत्र संख्या-9403/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 03 मई, 2023, अनुस्मारक-1 कार्यालय के पत्र संख्या-9563/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2023-24 दिनांक 19 जून, 2023 एवं अनुस्मारक-2 कार्यालय के पत्र संख्या-9742/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2023-24 दिनांक 24 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु निर्धारित अंशदान दिनांक 20.08.2023 तक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण द्वारा निर्धारित अंशदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अपने अभिकरण से निर्धारित अंशदान "आवास बन्धु उ०प्र०" के एच.डी.एफ.सी. बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-00781000210255 IFSC Code- HDFC0000078 में RTGS के माध्यम से अथवा D.D. के माध्यम से "आवास बन्धु उ०प्र०" कार्यालय को 20.09.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-4070567
फैक्स: 0522-
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 9563 / (214) / आ०ब०-7 / अधि.नि. / 2023-24 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2023
प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

अनुस्मारक-1

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। (कानपुर, प्रयागराज, मेरठ,
मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मथुरा,
वाराणसी, बांदा, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद,
सहारनपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, खुर्जा, उरई,
मिर्जापुर विकास प्राधिकरण को छोड़कर)
3. अध्यक्ष,
कपिलवस्तु, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: "आवास बन्धु" हेतु पुनर्निर्धारित अंशदान भेजे जाने के सम्बन्ध में।
महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1348/आठ-1'16-214/आ.ब./2000 लखनऊ दिनांक 29.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा "आवास बन्धु उ०प्र०" हेतु निर्धारित अंशदान जमा करने के लिए कार्यालय के पत्र संख्या-9308/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 एवं अनुस्मारक-पत्र कार्यालय के पत्र संख्या-9403/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 03 मई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु निर्धारित अंशदान दिनांक 31.05.2023 तक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण द्वारा निर्धारित अंशदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अपने अभिकरण से निर्धारित अंशदान "आवास बन्धु उ०प्र०" के एच.डी.एफ.सी. बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-00781000210255 IFSC Code- HDFC0000078 में RTGS के माध्यम से अथवा D.D. के माध्यम से "आवास बन्धु उ०प्र०" कार्यालय को 30.06.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
19/6/2023
(रवि जैन)
निदेशक



आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-4070567
फैक्स: 0522-
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 9308 / (214) / आ०ब०-7 / अधि.नि. / 2022-23
प्रेषक,

लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल, 2023

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

महात्वपूर्ण / प्राथमिकता

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।


2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: "आवास बन्धु" हेतु पुनर्निधारित अंशदान भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1348/आठ-1'16-214/आ.ब./2000 लखनऊ दिनांक 29.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "आवास बन्धु उ०प्र०" का अंशदान निर्धारित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अपने अभिकरण से निर्धारित अंशदान "आवास बन्धु उ०प्र०" के एच.डी.एफ.सी. बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-00781000210255 IFSC Code- HDFC0000078 में RTGS के माध्यम से अथवा D.D. के माध्यम से "आवास बन्धु उ०प्र०" कार्यालय को 25.04.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक

प्रेषक,
सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 29 अप्रैल, 2016

विषय:- 'आवास-बन्धु' हेतु पुनर्निधारित अंशदान भेजे जाने के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1450/8-1-2012 दिनांक 06 जून, 2012 को सम्यक् विचारोपरान्त अतिक्रमित करते हुए 'आवास-बन्धु' की निधि हेतु आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण तथा समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अंशदान संशोधित करते हुए, निम्नानुसार पुनर्निधारित किया जाता है:-

क्र. सं.	श्रेणी	अभिकरण का नाम	निर्धारित अंशदान प्रतिवर्ष (वर्ष 2016-17 व अग्रेतर वर्षों हेतु)
1.	ए.एस. श्रेणी	गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	50.00 लाख प्रति अभिकरण
2.	ए श्रेणी	आगरा, इलाहाबाद, मेरठ तथा मुरादाबाद	17.00 लाख प्रति विकास प्राधिकरण
3.	बी श्रेणी	अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन तथा वाराणसी	6.00 लाख प्रति विकास प्राधिकरण
4.	सी श्रेणी	बांदा, बुलन्दशहर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़-पिलखुआ, झांसी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर तथा उन्नाव शुक्लांगज	1.20 लाख प्रति विकास प्राधिकरण
5.	सी.श्रेणी (नवगठित विकास प्राधिकरण)	खुर्जा, रामपुर, उरई	0.60 लाख प्रति विकास प्राधिकरण
6.	सी श्रेणी (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	कुशीनगर, शक्तिनगर, चित्रकूट, कपिलवस्तु तथा मिर्जापुर-विन्ध्याचल	0.60 लाख प्रति विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'आवास-बन्धु' को उपरोक्तानुसार संशोधित अंशदान, इस शासनादेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,



(सदाकान्त) 26/4/16
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0।
2. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(पनधारी यादव)
सचिव।



आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष: : 0522-4070567
फैक्स: 0522-
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 403 / (214) / आ०ब०-7 / अधि.नि. / 2022-23 लखनऊ दिनांक 03 मई, 2023
प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

अनुस्मारक-पत्र

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश (फिरोजाबाद-
शिकोहाबाद वि० प्रा० को
छोड़कर)।


3. अध्यक्ष,
कपिलवस्तु, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: "आवास बन्धु" हेतु पुनर्निर्धारित अंशदान भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1348/आठ-1'16-214/आ.ब./2000 लखनऊ दिनांक 29.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा "आवास बन्धु उ०प्र०" हेतु निर्धारित अंशदान जमा करने के लिए कार्यालय के पत्र संख्या-9308/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु निर्धारित अंशदान दिनांक 25.04.2023 तक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण द्वारा निर्धारित अंशदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अपने अभिकरण से निर्धारित अंशदान "आवास बन्धु उ०प्र०" के एच.डी.एफ.सी. बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-00781000210255 IFSC Code- HDFC0000078 में RTGS के माध्यम से अथवा D.D. के माध्यम से "आवास बन्धु उ०प्र०" कार्यालय को 31.05.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रवि जैन)
निदेशक



संख्या: 9742/(214)/आ०ब०-7 /अधि.नि./2023-24 लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2023
प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

अनुस्मारक-2

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़-पिलखुआ,
उन्नाव-शुक्लागंज, रायबरेली, रामपुर विकास
प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
कपिलवस्तु, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय: "आवास बन्धु" हेतु पुनर्निधारित अंशदान भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1348/आठ-1'16-214/आ.ब./2000 लखनऊ दिनांक 29.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा "आवास बन्धु उ०प्र०" हेतु निर्धारित अंशदान जमा करने के लिए कार्यालय के पत्र संख्या-9308/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023, अनुस्मारक-पत्र कार्यालय के पत्र संख्या-9403/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2022-23 दिनांक 03 मई, 2023 एवं अनुस्मारक-1 कार्यालय के पत्र संख्या-9563/(214)/आ.ब.-7/अधि.नि./2023-24 दिनांक 19 जून, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु निर्धारित अंशदान दिनांक 30.06.2023 तक उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके अभिकरण द्वारा निर्धारित अंशदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु अपने अभिकरण से निर्धारित अंशदान "आवास बन्धु उ०प्र०" के एच.डी.एफ.सी. बैंक, हजरतगंज, लखनऊ में संचालित खाता संख्या-00781000210255 IFSC Code- HDFC0000078 में RTGS के माध्यम से अथवा D.D. के माध्यम से "आवास बन्धु उ०प्र०" कार्यालय को 20.08.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
24/07/2023
(रवि जैन)
निदेशक